WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112023-250162
CG-DL-E-20112023-250162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2023/कार्तिक 23, 1945
No. 653] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2023/KARTIKA 23, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2023

सा.का.नि.835(अ).—केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उप-धारा (2), (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) द्वारा यथा अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर, राजपत्र में अंतर्विष्ट इस अधिसूचना को जनता को उपलब्ध कराए जाने के पैंतालीस दिन के पश्चात विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों में, यदि कोई, आपत्तियों या सुझावों, को ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर; निदेशक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं.254 क, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110 011 या ईमेलः avi.gupta@gov.in, expl-dipp@nic.in को भेजे जा सकते हैं;

किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट उस तारीख से पूर्व प्राप्त किया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2023 होगा।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों में, नियम 4 में, शब्द और अंक "परन्तु इस नियम की कोई भी बात किसी व्यक्ति को कार्बाईड की ऐसी मात्राओं में परिदान या प्रेषण को लागू नहीं होगी जो नियम 26 द्वारा, बिना किसी अनुज्ञप्ति के, भंडारिकरण के लिए अनुमत है।" को निम्नलिखित शब्दों और अंक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

"परन्तु इस नियम की कोई भी बात कार्बाईड के परिदान या प्रेषण को लागू नहीं होगी जो नियम 26 द्वारा अनुमत है।"

3. उक्त नियम में, नियम 25 में "सहित या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियम में, नियम 26 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"26 भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति - (1) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति के अलावा किसी भी कार्बाइड का भंडारण नहीं करेगा:

बशर्ते कि कार्बाइड के भंडारण के लिए किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी -

(क) अस्थायी रूप से बंदरगाह की सीमा के भीतर ऐसी शर्तों के तहत जैसा कि बंदरगाह के संरक्षक द्वारा यथा निर्दिष्ट किया गया हो,

(ख) रेल प्रशासन या सड़क परिवहन एजेंसी की अभिरक्षा में पारगमन के दौरान;

(ग) संघ के रक्षा बलों के कब्जे में हो;

5. उक्त नियम में, नियम 27 में, उप नियम (4) के बाद निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5)(क) पांच किलोग्राम से अनधिक किसी भी मात्रा में कार्बाइड को निर्धारित पात्रों में संग्रहित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक में एक किलोग्राम से अधिक नहीं होगा;

(ख) किसी भी मात्रा में पांच किलोग्राम से अधिक लेकिन दो सौ किलोग्राम से अधिक संग्रहित नहीं किया जाएगा: -

(i) एक सूखे और अच्छी तरह हवादार भंडारण शेड में संग्रहीत पात्रों में, जो एक इमारत का एक हिस्सा बन सकता है या उससे जुड़ा हो सकता है, बशर्ते कि वह वहां से एक ठोस विभाजन से अलग हो और उस तक पहुंचने का एकमात्र साधन बाहरी हवा से हो;

(ii) अनधिकृत व्यक्तियों को पात्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए उचित सावधानी बरती जाएगी;

(iii) पात्रों को, उनसे कार्बाइड निकालते समय के अतिरिक्त, सुरक्षित रूप से बंद रखा जाएगा।"

[मि. सं. पी-13013/1/2021-विस्फोटक]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

नोट : भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 105(अ), तारीख 18 फरवरी, 1987 द्वारा मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 109(अ) तारीख 28 फरवरी, 1990, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ) तारीख 20 अगस्त, 2015 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1094(अ) तारीख 8 नवंबर, 2018 और सा.का.नि. 610(अ) तारीख 31 अगस्त, 2021 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2023

G.S.R. 835(E).—The draft of the following rules to amend the Calcium Carbide Rules, 1987, which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 29 of the Petroleum

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

Act, 1934 (30 of 1934) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 29 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to public.

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to the Director, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 254 A, Udyog Bhavan, New Delhi – 110 011 or Email: avi.gupta@gov.in; expl-dipp@nic.in, within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period above so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Calcium Carbide (Amendment) Rules, 2023

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, in Rule 4, the words and figures "Provided that nothing in this rule shall apply to the delivery or dispatch to any person of Carbide in quantities which are permitted by Rule 26 to be stored without a licence." shall be substituted with:-

   "Provided that nothing in this rule shall apply to the delivery or dispatch of Carbide permitted by Rule 26."

3. In the said rules, in Rule 25, the words "with or" shall be deleted.

4. In the said rules, Rule 26, shall be substituted namely:-

   "26 **Licence for storage**–(1) No person shall store any carbide except under a licence granted under these Rules :

   Provided that no licence shall be required for storage of carbide –

   (a) temporarily within port limits under such conditions as the Conservator of the port may specify,

   (b) while in transit under the custody of railway administration or road transport agency;

   (c) in the possession of the Defence Forces of the Union;

5. In the said rules in Rule 27 after sub rule (4) following shall be inserted namely:-

   "(5)(a) Carbide in any quantity not exceeding five kilograms shall be stored in prescribed receptacles each containing not more than one kilogram;

   (b) in any quantity exceeding five kilograms but not exceeding two hundred kilograms shall be stored:-

   (i) in receptacles stored in a dry and well ventilated storage shed, which may form a part of or attached to a building provided that it is separated there from by a substantial partition and the only means of access to it is from outside air;

   (ii) due precautions shall be taken to prevent unauthorized persons from having access to the receptacles;

   (iii) the receptacles shall be kept securely closed except while taking out carbide there from."

[F. No. P-13013/1/2021-EXPLOSIVE]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.

Note : The principal rule were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (i), *vide* notification number, G.S.R. 105(E) dated the 18th February, 1987 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 109(E) dated the 28th February, 1990, notification number G.S.R. 647(E) dated the 20th August, 2015 notification number G.S.R. 1094(E) dated the 8th November, 2018 and notification number G.S.R. 610(E) dated the 31st August 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.